28

संख्या - 28/30/2004-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(बी.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली - 110003

दिनांक 26 जुलाई, 2005

26 JUL 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 द्वारा शासित कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 01-01-2004 को अथवा उसके बाद तकनीकी रूप से त्याग पत्र दिए जाने पर उनकी विगत सेवा की गणना के संबंध में ।

बहुत से मंत्रालय/विभाग/स्वायत्त निकाय इस विभाग से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगते रहते हैं कि क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित दिनांक 31-12-2003 को अथवा इससे पहले नियुक्त कर्मचारी, उक्त नियमावली के नियम 26(2) के तहत अथवा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 29-08-1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/10/84-पी.यू. के प्रावधानों के तहत उस स्थिति में विगत सेवा की गणना के पात्र होंगे जब ऐसे कर्मचारी किसी नए मंत्रालय/विभाग/स्वायत्त निकाय में नई नियुक्ति पर जाने के लिए दिनांक 01-01-2004 को या उसके पश्चात् तकनीकी रूप से त्यागपत्र देते हैं ।

2. इस मामले पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

(i) . ऐसे कर्मचारी, जो 31-12-2003 को अथवा उससे पूर्व केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा गठित स्वायत्त निकाय (दिनांक 29-08-1984 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 में विहित शर्तों को पूरा करने वाले) में नियुक्त हुए थे और जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित होते थे, उनके द्वारा भारत सरकार के किसी ऐसे अन्य मंत्रालय अथवा विभाग अथवा केन्द्र सरकार द्वारा गठित किसी ऐसे स्वायत्त निकाय जहाँ पर 31-12-2003 को तथा इससे पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत पहले से ही पेंशन योजना मौजूद थी, में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 01-01-2004 को अथवा उसके बाद

.....2/-

तकनीकी रूप से त्यागपत्र दिए जाने पर, वे विगत सेवा की गणना के प्रयोजन से उक्त नियमावली अथवा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 29-08-1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/10/84-पी.यू. के प्रावधानों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना तथा उन्हीं नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे ।

(ii) दिनांक 31-12-2003 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि योजना अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाली पेंशन योजना के अलावा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना द्वारा शासित होते थे, द्वारा नई नियुक्ति पर जाने के लिए, दिनांक 01-01-2004 को अथवा इसके पश्चात् तकनीकी रूप से त्याग पत्र देने पर, उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उपर्युक्त योजना में प्रवेश, 31-12-2003 को समाप्त हो गया था और उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत पेंशन योजना में नए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती । तथापि ऐसे कर्मचारी अपने पिछले संगठन/विभाग से उस संगठन/विभाग में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिए पेंशनरी/सेवांत लाभ प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं यदि ये लाभ, उस संगठन/विभाग के नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय हों ।

(iii) केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारी जो केन्द्र सरकार की सेवा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा गठित स्वायत्त निकाय की सेवा में 31-12-2003 को अथवा इससे पूर्व शामिल हो गए थे और जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित होते थे और जिन्होंने राज्य सरकार के अंतर्गत नया पदभार ग्रहण करने के लिए 01-01-2004 को अथवा इसके पश्चात् तकनीकी रूप से त्याग पत्र दे दिया था, वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37 और संबंधित आदेशों में विहित नियमों की तर्ज पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकायों में की गई सेवा की अवधि के लिए अनुपातिक पेंशन संबंधी लाभ पाने के पात्र होंगे ।

3. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 29-08-1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/10/84-पी.यू. के पैरा 3(क) (ii) और 3(ख) (ii) दिनांक 01-01-2004 से विलोपित माने जाएँ । इसके अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 29-08-1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/10/84-पी.यू. के प्रावधान अथवा कोई अन्य संबंधित आदेश, जहाँ तक कि वे इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए किन्हीं मामलों के संबंध में प्रावधान करते हैं, लागू नहीं होंगे ।

.....3/-

4. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 6-6-2005 के आई.डी. संख्या 177ई.वी./2005, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 28-6-2005 के यू.ओ.सं. एफ5(80)/2004-ई.सी.बी. एण्ड पी.आर और भारत सरकार के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के दिनांक 13-7-2005 के यू.ओ. संख्या 111-लेखा परीक्षा के (नियम)/44-2001-वॉल्यूम-II द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किया जाता है ।

गीता

(गीता राम)
निदेशक (पी.डब्ल्यू.)
दूरभाष : 24624752

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।

(अनुरोध किया जाता है कि वे इस कार्यलय ज्ञापन को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में भी परिचालित करें ।)